न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/178/2016

उनवान

रूपा पिता नारायण दरोगा निवासी आरोली मृतक के बजाय:–

1. प्रेम पत्नि रूपा दरोगा निवासी आरोली तहसील बिजौलिया
2. कालू पिता रूपा दरोगा निवासी आरोली तहसील बिजौलिया
3. हेमराज पिता रूपा दरोगा निवासी आरोली तहसील बिजौलिया
4. अशोक पिता रूपा दरोगा निवासी आरोली तहसील बिजौलिया
5. राधेश्याम पिता रूपा दरोगा निवासी आरोली तहसील बिजौलिया
6. चंदा पुत्री रूपा दरोगा निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण

बनाम

1. भैरू माता प्रेम ढोली पिता राधेश्याम सुनार निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. नारायण माता प्रेम ढोली पिता राधेश्याम सुनार निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. गोपाल पिता नंदा दरोगा निवासी आरोली तहसील बिजौलिया
4. कैलाश पिता हरीशंकर शर्मा निवासी होडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 110/2010(118/1996,582/2001) निर्णय एवं डिक्री दि0 9.4.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री आर सी सारस्वत ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आरोली के खाता सख्या 167 की आराजी नम्बर 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192,197, 198, 202 कुल किता 11 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्रीमति सुंदर बेवा बालू भॅवरिया, रूपा, पिता नारायण ,छीतर पिता देबी, गोपाल पिता नंदा के संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। खातेदार सुंदर बेवा बालू दरोगा की दिनांक 18.7.96 को मृत्यु हो चुकी है एवं भॅवरिया पिता नारायण पूर्व मे ला औलाद फौत हो चुका है। वादग्रस्त आराजियात में सुंदर बेवा बालु दरोगा का 1/4 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। श्रीमति सुंदर बाई ने अपने जीवनकाल में दिनांक 12.2.1996 को एक वसीयतनामा वादीगण की माता प्रेम के पक्ष में निष्पादित किया एवं सुंदर बाई ने अपने हक हिस्से की उक्त भूमि वादीगण की माता के नाम पर वसीयत कर दी । वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है । वादीगण को ग्राम आरोली स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 184, 185, 186,

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, गीलवाड़ा

187, 188, 190, 192,197, 198, 202 कुल किता 11 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण के 1/4 की हिस्से की भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. दिनांक 10.10.96 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने वादीगण की माता के साथ झगडा किया और वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी। उक्त ग्राम आरोली स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192,197, 198, 202 कुल किता 11 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण के 1/4 की हिस्से की भूमि में वादीगण का 1/4 हक हिस्सा है। हिस्से अनुसार मौके पर पांती बटवाडा किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण वादीगण के संयुक्त रूप से काश्त करने में दखलंदाजी कर रहे हैं और रोक टोक कर रहे है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम आरोली स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192,197, 198, 202 कुल किता 11 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण के 1/4 की हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

निर्णय की जानकारी प्रतिवादीगण को रेस्पोडेण्ट/वादीगण द्वारा दिनांक 5.7.2016 को बताने पर हुई इस पर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त करने हेते आवेदन किया जिस पर दिनांक 8.7. 2016 को उक्त नकलें प्राप्त हुई । अपीलाधीन निर्णय मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया है। निर्णय की जानकारी समय पर नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया ।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किये जाने से विधिविरूद्ध होकर निरस्त योग्य है अर्थात अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 छीतर पिता देबी दरोगा महत्वपूर्ण पक्षकार था जिसका दिनांक 7.11.2006 को निधन हो गया था । इसी प्रकार रूपा के वारिसान में से पप्पु पिता रूपा दरोगा का भी दिनांक 6.11.2004 को निधन हो गया । जिनके कोई कायम मुकाम आज दिन तक नहीं बनाये गये । इस प्रकार प्रत्यर्थीगण/वादीगण का वाद कानूनन स्वतः अबेट हो जाता है व हो गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण/वादीगण के वाद को उपशमन हो जाने से खारिज न कर डिक्री करने मे भारी भूल की है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि बालू एवं उसकी पत्नी सुन्दर बाई ने अपने जीवन काल में ही देबी पिता दुल्हेसिंह दरोगा को जाति रस्म रिवाज अनुसार गोद ले लिया । इस प्रकार देबी बालू एवं सुन्दर बाई का एकमात्र गोदपुत्र होकर उत्तराधिकारी एवं

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रथम श्रेणी का वारिस है तथा बालू की मृत्यु के उपरान्त उनकी समस्त चल अचल सम्पदाएं उनके एकमात्र सहदायक गोदपुत्र देवी में कानूनन निहित हो गई व होती है तथा कब्जा व दखल भी देवी का ही हो चला आ रहा था। देबी की मृत्यु के उपरान्त कब्जा व दखल उनके पुत्र छीतर का चला आ रहा था। तथा छीतर के लाऔलाद निधन होने के उपरान्त अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण जो कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक छीतर के वारिसान होते हैं, का ही हो चला आ रहा है तथा कोई किसी प्रकार का कब्जा व दखल रेस्पोडेण्ट वादीगण का नहीं है न कभी रहा है, न दायरीदावे के वक्त वे अथवा उनकी तथाकथित माता प्रेम देवी ढोली उक्त आराजियात पर काबिज ही थी व न रही है। ऐसी हालत में रेस्पोडेण्ट/वीदगण का वाद किसी कदर कानूनन पोषणीय नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट/वादीगण का वाद खारिज न कर डिक्री करने में भारी भूल की है।

8. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अव्वल तो सुन्दर बाई ने कोई किसी प्रकार का वसीयतनामा रेस्पोडेण्ट वादीगण की तथाकथित माता प्रेम ढोली के हक में दिनांक 12.2.1996 को निष्पादित ही नहीं किया एवं न ही । कराया दोयम जब सुन्दर बाई एवं उनके पति ने अपने जीवनकाल में जाति रस्म रिवाज अनुसार अपने भाई (देवर) देबी को गोद ले लिया तो फिर सुन्दर बाई को कोई हक व अधिकार तथाकथित वसीयत करने का ही कानूनन नहीं था व है इतना ही नहीं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो साक्ष्य आई है उससे भी उक्त तथाकथित वसीयतनामा न तो सिद्ध हुआ है न निष्पादित किया जाना ही प्रमाणित हुआ है । इतना ही नहीं कोई कब्जा भी विवादित आराजी पर रेस्पोडेण्ट/वादीगण का होना साक्ष्य

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

से प्रमाणित नहीं हुआ है ऐसी हालत में अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही ढंग से विवेचन न कर अपने स्तर पर ही कयास लगाकर रेस्पोडेण्ट/वादीगण का वाद काबिल खारिज होने के बावजूद डिक्री करने में भारी भूल की है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वसीयत हमेशा साधारणतया अपने परिवार के नजदीकी रिश्तेदार मिलनसार अथवा मधुर संबंध एवं सेवा चाकरी, भरण–पोषण करने वाले व्यक्ति के पक्ष में ही निष्पातिद किया जाता है जबकि मौजूदा प्रकरण में जो परिस्थिति वसीयत के संबंध में बताई गई है वह अपने आप तथाकथित वसीयतनामे को संदेहास्पद एवं शंकाग्रस्त बना फर्जी एवं कूटरचित होने की अवधारणा प्रबल कर देती है। क्योंकि तथाकथित वसीयतनामा जिस तथाकथित प्रेम देवी ढोली के हक में किया जाना बताया गया है वह प्रेम देवी ढोली किसी प्रकार से सुन्दर बाई के परिवार की नजदीकी रिश्तेदार नहीं है बल्कि प्रेम देवी ढोली की सामाजिक स्तर पर कोई किसी प्रकार की प्रतिष्ठा न होकर वह अवैध तरीके से राधाकिशन सुनार के साथ निवास करती थी जिसके द्वारा कोइ किसी प्रकार की सेवा चाकरी सुन्दर बाई की नहीं की गई । बल्कि सुन्दर बाई की सेवा चाकरी छीतर ने ही की है ऐसी हालत में सुन्दर बाई द्वारा कोई किसी प्रकार का वसीयतनामा तथाकथित प्रेम देवी ढोली के हक में निष्पादित नहीं किया गया और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से भी यह तथ्य पूर्णतया सिद्ध हुआ है । वैसे भी वसीयतनामे को कानूनन संदेह से परे साबित करना होता है। जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से साबित नहीं हुआ है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की सम्यक प्रकिया का कोई निर्वहन नहीं किया है अर्थात जब कोई किसी प्रकार का वाद पत्र संशोधन करने हेतु रेस्पोडेण्ट वादीगण की ओर से कोई प्रार्थना पत्र ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है फिर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 27.7.2011 संशोधित वाद पत्र किस प्रकार व कैसे प्रस्तुत हुआ इस संबंध में कोई भी समुचित कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं संशोधित वाद पत्र के आधार पर संशोधित तनकियात भी दिनांक 12.4.2012 को कायम की गई। जबकि आदेशिका दिनांक 12.4.2012 में पूर्व में ही तनकियात कायम किये जाने का उल्लेख है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कोई जवाब दावा ही प्रस्तुत नहीं किया गया उसके बावजूद आदेशिका दिनांक 23.2.2012 में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाब दावा पेश करने का अंकन किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध दिनांक दिनांक 5.5.1997 को ही एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया है। तथाकथित संशोधित वाद पत्र में रेस्पोडेण्ट/वादीगण ने अपने आपको बालग होना अंकित किया है फिर भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में रेस्पोडेण्ट/वादीगण को नाबालिग दर्शाया है। इसी तरह अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की एकतरफा कार्यवाही नहीं की गई है फिर भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में एकपक्षीय होने का तथ्य अंकित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा छीतर का होना गवाहान द्वारा साबित कराया गया है। फिर भी साक्ष्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

किया गया है। प्रतिवादीगण को उनके अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जब भी आवश्यकता होगी बुलवा लिया जायेगा परन्तु अधिवक्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। जिसकी जानकारी अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट को नहीं दी । इस कारण अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण साक्ष्य प्रस्तुत करने से वंचित रह गये। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण साक्ष्य प्रस्तुत करने से वंचित रह गये हैं अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण में प्रतिवादीगण को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

12. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है परन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य,दस्तोवज का अवलोकन कर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

14. प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आरोली के खाता सख्या 167 की आराजी नम्बर 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192,197, 198, 202 कुल किता 11 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्रीमति सुंदर बेवा बालू भॅवरिया, रूपा, पिता नारायण ,छीतर पिता देबी, गोपाल पिता नंदा के संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। खातेदार सुंदर बेवा बालू दरोगा की दिनांक 18.7.96 को मृत्यु हो चुकी है एवं भॅवरिया पिता नारायण पूर्व मे ला औलाद फौता हो चुका है। वादग्रस्त आराजियात में सुंदर बेवा बालु दरोगा का 1/4 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। श्रीमति सुंदर बाई ने अपने जीवनकाल में दिनांक 12.2.1996 को एक वसीयतनामा वादीगण की माता प्रेम के पक्ष में निष्पादित किया एवं सुंदर बाई ने अपने हक हिस्से की उक्त भूमि वादीगण की माता के नाम पर वसीयत कर दी । वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है । वादीगण को ग्राम आरोली स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192,197, 198, 202 कुल किता 11 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण के 1/4 की हिस्से की भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का भी निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र दिनांक 4.11.1996 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । दिनांक 5.5.97 को प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता पेरोकार सरकार के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने से वकीव वादी ने आदेश 9 नियम 3 सी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

पी सी का कायम मुकाम मु0 प्रेम का देहान्त दिनांक 14.2.298 को हो जाने से दिनांक 30.3.98 को प्रस्तुत किया । दिनांक 20.9.99 को अधिवक्ता श्री के सी तम्बोली एववं श्री पी पी सिंह ने अधिकार पत्र पेश किया । दिनांक 9.5.2000 को वादी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादिया की मृत्यु होना अंकित किया गया तथा उसके दो नाबालिग पुत्र बताकर कायम मुकाम बनाये जाने का निवेदन किया । प्रतिवादी की ओर से आपत्ति की गई कि राधाकृष्ण सुनार के संरक्षण में बताया गया परन्तु उनका क्या रिश्ता है उसका अंकन नहीं किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र को प्रतिवादी द्वारा खारिज किये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करके उत्तराधिकारियों की वल्दियत का खुलासा पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया ।

15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के म/4 हिस्से पर अपना कब्जा होने का कथन किया है परन्तु कब्जे बाबत किसी प्रकार की साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। गवाह गवाह नरेश कुमार पी डब्ल्यू 2 ने जिरह में वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का 10–12 साल से कोई कब्जा नहीं होने का कथन किया है। जबकि गवाह पी डब्ल्यू 3 सूरजमल ने वादग्रस्त आराजी पर प्रेम बाई का कब्ज होने एवं प्रेम बाई की मृत्यु के उपरान्त प्रेम बाई के लडकों का कब्जाकाश्त होने का कथन किया है। इसी प्रकार गवाह पी डब्ल्यू 4 नारायणदास ने भी वादग्रस्त जमीन पर नारायण , भैरूका कब्जाकाश्त होने का कथन किया है। जबकि उक्त दोनों लडके नाबालिग होने का तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पत्रावली में प्रस्तुत संशोधित वाद पत्र एवं संशोधित शीर्षक से भी पुष्टि होती है।

16. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र 1996 में प्रस्तुत किया गया था । प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रकरण में दिनांक 9.7.20203 को तनकियात कायम की गई। प्रकरण में वादी द्वारा 4 प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाया गया था। जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार माण्डलगढ रहे हैं। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 कैलाश द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 23.2.2013 लिखी गई। जिसके अनुसार '' वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रतिवादी नम्बर 4 ने जवाब दावा पेश किया नकल वकील वादी को दी जाकर जवाब दावा शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली वास्ते दस्तावेज तनकियात दिनांक 223.2. 102 को पेश हो'' ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त प्ररकण को जब वास्ते तनकियात कायम नियत किया गया था। तो फिर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की जानी चाहिये थी। चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 ने वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादीगण ने जुज भाग क्रय करने का कथन किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकियात कायम नहीं की गई थी।

17. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया जिस पर वादी की ओर से गवाहान के बयान प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादीगण की साक्ष्य में प्रकरण को दिनांक 10.5.2012 को नियत किया गया । जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.5.2012 को न्यायालय कार्य नहीं

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 7.6.2012 नियत की गई । दिनांक 7.6.2012 को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.7.2012 को अंतिम अवसर साक्ष्य प्रतिवादी दिया जाता है। इसी प्रकार दिनांक 19.7.2012 को भी अंतिम अवसर प्रदान कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.9.2012 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई है। जबकि जवाब दावे में प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 2 के पिता देबी को बालू दरोगा द्वारा गोद लिये जाने का कथन किया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण को निस्तारण किये जाने से पूर्व प्रतिवादीगण को कॉस्ट पर अवसर दिया जाता एवं यदि उनके द्वारा गोद जाने के बिन्दु के बारे में कोई मौखिक साक्ष्य, अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जाती तो उसका विवेचन किया जाता। यदि प्रतिवादीगण द्वारा बाद सुनवाई के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जाती तो भी गोद जाने के जवाब दावे के आधार पर गोद के बिन्दु के आधार पर तनकियात कायम की जानी चाहिये थी एवं उसका निस्तारण किया जाता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने के कई अवसर प्रदान किये गये है। मूल वाद में उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर पक्षकारों के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

18. अपीलार्थीगण द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है उसके साथ मुत्यु प्रमाण पत्र छीतर लाल पिता देबी लाल दरोगा निवासी आरोली की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसमें छीतर की मृत्यु की तारीख दिनांक 7.11.2006 होना

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू--प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

अंकित किया हुआ है। दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें पप्पुलाल दरोगा आत्मज रूप लाल दरोगा की मृत्यु दिनांक 6.11.2004 को होना अंकित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में पप्पु लाल दरोगा को प्रतिवादी संख्या 1/2 के रूप में प्रतिवादी दर्ज किया गया है एवं छीतर लाल को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में दर्ज किया गया है। उक्त दोनों ही प्रतिवादीगण की मृत्यु दौराने वाद हो चुकी थी। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में उक्त दोनों ही प्रतिवादीगण की मृत्यु होने के उपरान्त भी मृतक प्रतिवादीगण के वारिसान को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया एवं मृतक प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जबकि मृतक प्रतिवादीगण वारिसान पक्षकारान बनाया जाना नितान्त आवश्यक था एवं उन्हें भी सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवेचनानुसार पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

19. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.4.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर प्रकरण में सभी आवश्यक पक्षकार को पक्षकार संयोजित किये जाकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की जावे एवं उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहान के बयान का अवलोकन कर उपलब्ध साक्ष्य , दस्तावेज का विवेचन करते हुए तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर अज सिरे नो गुणावगुण के आधार पर विस्तृत तनकीवाईज निर्णय

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27/1/2020 को उपस्थित रहें।

20. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा